गैरसायलान दिनांक 2.11.16 को पेश हो। (प)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)

2-11-16 पत्रावली पेश हुयी। वकील सायल उप। गैरसायल 5.1व2 की ओर से विष्णुचन्द बंसल एडवोकेट उप। गैरसायल नं. 3 स्वयं उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब T.I. दिनांक 23-11-16 को पेश हो। (प)

23 11/16 पत्रावली पेश हुई। बकील फरीकैन उप०
PO साहब दौरे पर हैं।
पत्रावली पृथानसार दिनांक 21-12-16
को पेश हो।

21.12.16 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। जवाब T.I. पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। नकल वकील सायल को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28-12-16 को पेश हो। (प)

28.12/16 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान का बहस में तर्क है कि विवादित आराजी ख.नं. 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920 कुल किता 8 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा सायलान व अन्य खातेदारान परिवारजनों के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी से गैरसायलान नं. 1 व 2 का कोई सम्बन्ध नहीं है। गैरसायलान ताकतवर पैसेवाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और विवादित भूमि में जबरदस्ती अवैध रूप से खनन कार्य करना चाहते हैं। और जे.सी.बी. लगाकर हमारी भूमि के उपजाऊ हिस्से को नष्ट करते हुए विगत दो-तीन माह से पूर्व अवैध रूप से खनन करना प्रारम्भ कर दिया है। सायलान ने खनन कार्य बन्द करने को कहा तो गैरसायलान सायलान को मारपीट करने पर उतारू हो गये। गैरसायलान को सायलान की खातेदारी भूमि में खनन कार्य करने का विधिक अधिकार नहीं है। अन्त में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

P.T.O. ...

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वकील गैरसायलान का बहस में कथन है कि विवादित भूमि व इससे लगी हुई सरकारी सिवायचक, चारागाह भूमि व वन भूमि में सायलान स्वयं अवैध खनन कार्य करते है और अपने अवैध खनन को छुपाने के लिए यह झूठा प्रार्थना पत्र गैरसायलान के विरुद्ध उनके द्वारा उनके द्वारा सरकारी भूमि में खनन नहीं करने की कहने पर एवं गैरसायलान पर शिकायत नहीं करने का दबाव बनाने के लिए यह गलत दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन व विवेचन से सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071-74 में विवादित भूमि सायलान व अन्य खातेदार के खातेदारी दर्ज होना एवं उक्त भूमि से गैर-सायलान का कोई सम्बन्ध नहीं होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति सायलान के पक्ष में प्रकट है। उक्त भूमि में गैरसायलान को खनन कार्य करने का हक नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को तारफैसला वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह सायलान के खातेदारी भूमि खा.नं. 4913 लगायत 4920 कुल किता 8 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम - गुरदह तह0-मण्डरायल में सायलान के कब्जे काश्त में व्यवधान व खनन कार्य नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करौली)